मानव शरीर सम्बन्धी अपराधो की विवेचना

भारतीय दण्ड विधान के अध्याय 16 के अनुसार शरीर को प्रभावित करने वाले **अपराध** निम्नलिखित हैं :–

1. यह अपराध जो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं (धारा **302,304,304ए व 304**बी भा0दं0वि आदि)
2. वह अपराध जो गर्भपात व अजात शिशु की मृत्यु से सम्बन्धित हैं (धारा **312 से 318** भा0द0वि0)
3. वह अपराध जो चोट पहुॅचाने से सम्बन्धित हैं (धारा **324 से 338** भा0द0वि0तक)
4. वह अपराध जो किसी व्यक्ति से सदोष अवरोध या सदोष परिरोध से सम्बन्धित हैं (धारा **341 व 342** भा0द0वि0)

5. वह अपराध जो अपराधिक बल और हमला के अपराध से सम्बन्धित हैं (धारा **352 से 358** भा0द0वि0)

6. वह अपराध जो **अपहरण व ब्यपहरण** से सम्बन्धित है। (धारा **363,366** भा0द0वि0)

7. वह अपराध जो **बलात्कार** से सम्बन्धित हैं। (धारा **376** भा0दं0वि0)

शरीर सम्बन्धी अपराधों की विवेचना में ध्यान रखने योग्य बिन्दु :—

1. **मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य** एकत्र किये जॉय जैसे **वादी व गवाहों के बयान, घटना स्थल के आस पास रहने वालों के बयान व रंजिश को को लिखित साक्ष्य** आदि।

2. यदि अभियुक्त अज्ञात हो, तो उनके आयु वर्ग शरीर का गठन आदि ज्ञात करके उसी प्रकार के अपराधियों में उन्हें तलाश किया जाय।

3. यदि अभियुक्त नामांकित हैं और दो तीन बार तलाश करने पर नहीं मिल रहे हैं, तो धारा **82/83 दं0प्र0सं0** की कार्यवाही की जाय।

4. **डाक्टरी परीक्षण—पीड़ित व्यक्ति का निम्नखित बिन्दुओं पर कराया जाना आवश्यक हैं :—**

(क) चोटों की जानकारी के लिये (**बल प्रयोग के अपराधों मे**)

(ख) आयु की जानकारी के लिये (धारा **363,366,376** भा0दं0वि0 की विवेचना मे)

(ग) बलात्कार की पुष्टि के लिये (धारा **376** भा0दं0वि0 की विवेचना मे)

(घ) चोटों के शस्त्रों की जानकारी के लिये (**बल प्रयोग के अपराधो में**)

(ड) चोटों के समय की जानकारी के लिये (**बल प्रयोग के अपराधो की विवेचना में**)

5. यदि मृतक अज्ञात हैं, तो उसकी पहचान कराने हेतु प्रचार किया जाय व पहचान हो जाने के बाद उसकी हत्या के कारणों की जॉच कराके विवेचना आगे बढाई जाय।

6. **मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम एक्जामिनेशन निम्न बिन्दुओं पर कराना आवश्यक हैं :—**

(क) मृत्यु का कारण जानने के लिये।

(ख) मृत्यु का समय जानने के लिये।

7. **भौतिक साक्ष्य** एकत्र करने के लिये **घटना स्थल का** निरीक्षण कराना आवश्यक हैं। यह **भौतिक साक्ष्य निम्न प्रकार के हो सकते हैं :–**

(क) रक्त
(ख) फिंगर प्रिन्टस
(ग) फुट प्रिन्टस
(घ) कारतूस के खोखे
(ड़) बाल
(च) कपड़ें के टुकडे
(छ) शस्त्र का भाग
(ज) सिगरेट के टुकडे आदि
(झ) चूडी के टुकडे

बलवे के अपराध की विवेचना का प्रारूप

1. **बलवे के अपराध की विवेचना में क्या सिद्ध करना आवश्यक है।**

- अपराध में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित होना।
- उनका कोई सामान्य उद्देष्य होना।
- उन सभी ने या उनमें से किसी एक के द्वारा सामान्य उद्देष्य की पूर्ति या हिंसा का प्रयोग करना।

2. **बलवे की विवेचना में निम्नलिखित कार्य प्रथम दिन ही किये जॉय।**

- वादी व गवाहों का बयान केस डायरी में लिखना।
- घायलों का उपचार व डाक्टरी परीक्षण करना।
- यदि कोई घायल मरणासन्न हो, तो मजिस्ट्रेट से उसका मृत्युकालिक कथन अंकित कराना।

3. घटना स्थल का निरीक्षण करना

- घटना स्थल का निरीक्षण प्रथम दिन ही किया जाय व उसका उल्लेख केस डायरी में किया जाय।
- घटना स्थल का मानचित्र बनाया जाय यदि संभव हो, फोटोग्राफ करा लिया जाय।
- घटना स्थल पर यदि हिंसा का कोई भौतिक साक्ष्य मिलता है, तो उसे एकत्र किया जाय और फर्द बनाकर कब्जे में लिया जाय जैसं–लाठी,डंडा,ईट,पत्थर,कॉच के टुकड़े,जूते,चप्पल चले हुये कारतूस, रक्त रंजित वस्तुयें,टूटी हुई या जली हुई कार,स्कूटर, साईकिल आदि।

4. यदि कोई भौतिक साक्ष्य घटना स्थल से मिलता है, तो आव"यकतानुसार उसका परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोग"ाला से कराया जाय जैसे घटना स्थल से मिले चले हुये कारतूस का अभियुक्त से मिले तमंचा या लाईसेन्सी शस्त्र से मिलान कराया जाना।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रयोग में लाये गये शस्त्रों व डाक्टरी परीक्षण में लिखी गई चोटो का मिलान करके विवेचक को यह चैक कर लेना चाहिये कि दोनों में कोई विरोधाभास तो नही है और यदि कोई अन्तर हो तो वादी,गवाहो और डाक्टर के बयान से उसे स्पष्ट कर लिया जाय।

6. डाक्टर द्वारा यदि कोई चोट विचाराधीन रखी गई है, तो उसका परिणाम प्राप्त करके केस डायरी में लिखा जाय और यदि चोट गम्भीर पाई गई है, तो मुकदमें की धारा में परिवर्तन करके उसका उल्लेख केस डायरी में भी किया जाय।

7. अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्रति"ीघ्र किया जाये अन्यथा पीडित पक्ष बदले की भावना से कोई अपराध कर सकता है।

8. अभियुक्त यदि तलाष करने पर नही मिलते हैं तो उनके विरूद्ध धारा 82/83 दंण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही अव"य की जाय।

9. बलवे की घटना के पूर्व यदि वादी पक्ष द्वारा या अभियुक्त पक्ष द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दिया गया हो या प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध लिखाई गई हो तो उसका विवरण केस डायरी में लिखा जाय।

10. अभियुक्त द्वारा प्रयोग किये गये शस्त्रों की बरामदगी की जाय।

11. यदि दोनों पक्षों की ओर से बलवे के मुकदमें लिखाये गये हों तो साक्ष्य के आधार पर ही आरोप पत्र दिये जाने चहिये अन्यथा केवल दोषी पक्ष का ही चालान करना चाहिये। दोनों मुकदमें में आरोप पत्र लगाना अनिवार्य नही होता है।

12. बलवा करने वाले और आत्मरक्षा में बल प्रयोग करने का निर्धारण चोटों की संख्या, चोंटो की प्रकृति, शस्त्रो के प्रकार और घटना के समय को दृष्टि में रख कर किया जाना चाहिये।

13. विवेचना निष्पक्ष होनी चाहिये अन्यथा बलवा फिर हो सकता है।

14. आरोप पत्र देते समय धारा 106 दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत यह भी प्रार्थना की जानी चाहिये कि यदि अभियुक्त दंडित किय जाते है तो उन्हें आगामी 3 वर्षो के लिये शॉति बनाये रखते हेतु पाबन्द जमानत व मुचलका किया जाय।

15. बलवे के अपराध की विवेचना जहॉ तक संभव हो 15 दिन में पूरी की जाय।

8. पीडित व्यक्ति का बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लिखने के बाद यदि आवष्यक हो, तो धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय में रिपोर्ट देकर लेखबद्ध कराया जाना चाहिए व उसके अनुसार कार्यवाही की जाय (धारा 363, 364, 376 भा0द0वि0 के अपराध में)

9. घायल व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन मजिस्ट्रेट से लेखबद्ध कराया जाय। यदि मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो डाक्टर से कथन लेखबद्ध करने की प्रार्थना की जाय।

10. यदि अभियुक्त के चोटें आई हैं व वह गिरफ्तार हो गया है, तो उसका डाक्टरी परीक्षण कराया जाय।

11. विचाराधीन चोटों का परिणाम डाक्टर से रिपोर्ट देकर ज्ञात किया जाय वे यदि चोटें गम्भीर पाई जॉय तो धाराओं में परविर्तन किया जाय।

12. अभियुक्त/अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्परता से की जाय जिससे कोई बदले की भावना से अपराध न घटित हो जाय।

13. अभियुक्त के घटना के पूर्व व घटना के बाद के आचरण का साक्ष्य एकत्र किया जाय।

14. अभियुक्त से पूछताछ करके हत्या में प्रयुक्त शस्त्र या शव या अपहृत व्यक्ति को बरामद करने का प्रयास किया जाय।

15. यदि हिंसा के अपराध में (हत्या, बलवा) आरोप पत्र दिया जा रहा है, तो आरोप पत्र में ही सजा देते समय अपराधियों को आगामी 3 वर्ष तक शान्ति बनाये रखने हेतु पाबन्ध जमानत व मुचलका करने हेतु प्रार्थना की जाय। (धारा 106 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

16. प्राप्त साक्ष्य का मूल्यांकन करके आरोप पत्र दिया जाय।